दैनिक
न्याय साक्षी

बैरिकेड तोड़कर भाग रहे गांजा तस्करों का पुलिस टीम ने पकड़ा, 93 किलो गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

❒ गांजा तस्करों पर साइबर सेल और लैलूंगा पुलिस की संयुक्त टीम ने की बड़ी कार्यवाही

❒ आरोपी के कब्जे से अवैध गांजा, कार, मोबाइल व 2 फर्जी नंबर प्लेट जब्त

रायगढ़। 'साइबर सेल' रायगढ़ और लैलूंगा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सुबह भोर में पुलिस के बैरिकेड की नाकेबंदी तोड़कर मारुति S-Cross कार में भाग रहे गांजा तस्कर को ग्राम कुपाकानी डामर प्लांट के पास पकड़ा गया है। आरोपी युवक के पास से 93 किलो गांजा, मारुति कार, मोबाइल और दो फर्जी कार के नंबर प्लेट कार से बरामद कर जप्त किया गया है।

विदित है कि ओडिशा से लैलूंगा के रास्ते गांजा तस्करों के अवैध गांजा परिवहन की सूचना पर लैलूंगा पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। गांजा तस्करों के द्वारा इस रूट के इस्तेमाल को देखते हुए एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा लैलूंगा पुलिस के साथ साइबर सेल की टीम को क्षेत्र में मुखबिर सक्रिय कर तस्करों पर निगाह रखने निर्देशित किया गया था पुलिस टीमें मुखबिर लगाकर जानकारी लिया जा रहा था जिसमें जानकारी मिला कि एक सफेद रंग की मारुति S-Cross में तस्कर उड़ीसा के झारसुगुड़ा के आसपास के इलाकों में गांजा लेकर लैलूंगा रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। शातिर तस्कर पुलिस से बचने कार का नंबर प्लेट बदल-बदल कर उपयोग कर रहे हैं। साइबर सेल की टीम कार का डिटेल निकलकार संदेही तस्कर की गतिविधियों पर नजर रखे हुये थी कि इसी बीच में 20-21 अप्रैल के मध्य रात्रि मुखबिर से संदिग्ध S-Cross में गांजा तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर निकलने की सूचना मिली। रायगढ़ साइबर सेल की टीम द्वारा लैलूंगा पुलिस को अलर्ट कर दोनों टीमें तस्करों को पकड़ने की रणनीति बनाये और मार्ग में 2-3 स्थानों पर नाकेबंदी पाइंट पर बैरिकेड लगाकर पुलिस टीम रेड के लिये तैयार थी। इधर रायगढ़ से संदिग्ध S-Cross कार का पीछा करते हुये साइबर सेल की टीम लैलूंगा की ओर बढ़ रही थी, मार्ग पर लैलूंगा पुलिस की नाकेबंदी और पीछे साइबर सेल का वाहन देखकर गांजा तस्करों ने पुलिस के नाकेबंदी बैरिकेड को तोड़कर भागने का प्रयास किये रात के अंधेरे में पुलिस टीम पीछा कर रात्रि करीब 3:30 कोतबा रोड ग्राम कुपाकानी डामर प्लांट के पास मारुति s-cross कार OD33 J 0003 में एक युवक को बैठा पाये। युवक को नाकेबंदी के कारणों से अवगत कराकर उसके कार का विधिवत तलाशी लिया गया। कार में रखे तीन प्लास्टिक बोरा में 93 पैकेट खाकी रंग के पेपर से लिपटा हुआ अवैध मादक पदार्थ - 93 किलो गांजा कीमत 11 लाख 16 हजार रुपए रखा हुआ मिला। पुलिस टीम द्वारा आरोपी हेमसागर यादव पिता देवानंद यादव उम्र 18 साल निवासी केन्दाटिकरा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ के कब्जे से 93 किलो गांजा s-cross मारुति OD33 J 0003 कीमत करीब रु.4,00,000, एक विवो कंपनी का मोबाइल और कार के अंदर रखे दो और झारखंड पासिंग कार के प्लेट मिले, सभी सामानों को विधिवत जप्ती किया गया है। आरोपी हेमसागर यादव से जप्त मशरूका की कुल कीमत रु.15,28,000 के करीब है। आरोपी के कृत्य पर थाना लैलूंगा में 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा पुलिस टीम को आरोपियों के गांजा के रिसीव पॉइंट से लेकर डिलीवरी पॉइंट तक जांच कर अन्य आरोपियों के संलिप्तता के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी हेमसागर यादव भी अपने मेमोरेंडम कथन में बताया कि वे दो लोग ओडिशा से कार में गांजा लेकर निकले थे, पुलिस टीम पकड़ने पीछा कि तो इसका एक साथी कार से कूदकर भागा है। लैलूंगा पुलिस इस ओर जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर गांजा रेड की इस कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ एवं साइबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी दीपक मिश्रा का नेतृत्व गांजा रेड टीम में लगे थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक रमाशंकर तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक चंदन सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक सुमेश गोस्वामी, परमेश्वर पैकरा, आरक्षक हेलारियुस लकड़ा, प्रमोद भगत, सुखदेव पैकरा तथा साइबर सेल के SI नंद किशोर गौतम, प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह, प्रदीप गहलोत, राजेश पटेल, आरक्षक प्रशांत पंडा, महेश पंडा, राजेश खांडे को प्राप्त हुआ है, जिनकी रेड कार्यवाही सराहनीय भूमिका रही है। प्रतिबंधित नशीले दवाओं और मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने रायगढ़ पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी है।

महत्वपूर्ण एवं खास

तेज रफ्तार ट्रेलर ने बुजुर्ग को रौंदा; मौके पर ही तोड़ा दम, गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम

रायगढ़ (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में औद्योगिक क्षेत्र थाना तमनार अंतर्गत हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर की ठोकर से यात्री प्रतीक्षालय में बैठे 70 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं प्रतीक्षालय और ठेला भी ट्रेलर की टक्कर से पूरी तरह चकनाचूर हो गया. जानकारी के अनुसार, थाना तमनार अंतर्गत हमीरपुर में तेज रफ्तार वाहन क्रमांक छ 13 डडह 2784 के चालक ने प्रतीक्षालय और ठेला को रौंदते हुए वृद्ध को अपनी चपेट में ले लिया. घटना में श्रद्धाकर निषाद की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना के बाद सरपंच सुरेश खंडाइत और उपसरपंच आशीष मिश्रा के नेतृत्व दर्जनों ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग और तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई को लेकर चक्काजाम कर दिया. वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण मिंज ने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश दी. तहसीलदार तमनार लीलाधर चन्द्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 25 हजार रुपये और ट्रेलर मालिक ने 50 हजार रुपये तत्काल मौके पर मृतक परिवार को दिया।

ईदगाह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस रही मुस्तैद

रायगढ़। प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला मुख्यालय और तहसीलों में उल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की गई। पर्व को लेकर विगत दिनों पुलिस कंट्रोल रूम में हुई शांति समिति की बैठक के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर ईदगाह में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाया गया था। सुबह से ही एडिशनल एसपी संजय महादेवा, प्रशिक्षु आईपीएस उदित पुष्कर, एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा, सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय द्वारा ईदगाह के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा था। ईद की नमाज के बाद सभी एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे थे। वहीं ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ईदगाह पर मौजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों और जवानों को संविधान की बुक, रुमाल व पेन भेंट कर आभार प्रकट किया गया।

टिफिन बम के साथ 1 नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान थाना भैरमगढ़, जांगला, नैमेड़, डीआरजी एवं 222 केरिपु कोड़ेपाल की संयुक्त बल थाना नैमेड़ से ग्राम कैका, कडेर, गुन्डापुर, कचिलवार, पेद्दाजोजेर की ओर एवं थाना गंगालूर से जिला पुलिस बल मय बीडीएस टीम के साथ कमकानार, चिन्नाजोजेर की ओर गश्त सर्चिंग पर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान कमकानार व चिन्नाजोजेर के मध्य जंगल में नक्सली विनोद हेमला पिता सुखलू उर्फ सुक्कू हेमला जाति मुरिया, उम्र 33वर्ष, साकिन दुरधा थाना नैमेड़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक टिफिन बम बरामद कर बीडीएस की टीम द्वारा निष्क्रिय किया गया। उक्त नक्सली के विरूद्ध थाना गंगालूर में कार्यवाही उपरांत न्यायिक रिमांड पर न्यायालय बीजापुर पेश किया गया है।

दंतेश्वरी सरोवर में डूबने से एक बुजुर्ग की हुई मौत

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दंतेश्वरी सरोवर में नहाने के दौरान डूबने से एक बुजुर्ग मैंगू नेताम की मौत हो गई है। पानी में बुजुर्ग का शव देखकर इलाके के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। शव को बाहर निकालकर कार्यवाही उपरांत पोस्टमॉर्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक मैंगू नेताम निवासी आंवराभाटा, कबाड़ी पारा सुबह तालाब में नहाने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वह गहराई में चला गया। जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद इलाके के लोग वहां पहुंचे तो तालाब के किनारे कपड़े देखे। आस-पास कोई नहीं दिखा। फिर लोगों की नजर तालाब के बीच पानी में एक शव में पड़ी, इसकी जानकारी सिटी कोतवाली को दी गई। पुलिस की मौजूदगी में गोताखोरों की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला गया।

लंबे समय से फरार पांच स्थाई वारंटियों को खरसिया पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़। अपराध घटित करने बाद पुलिस एवं न्यायपालिका की प्रक्रियाओं से बचने भाग रहे अपराधियों पर नकेल कसने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ सदानंद कुमार द्वारा अधीनस्थ थाना प्रभारियों को लगातार निर्देश जारी किए गए हैं, निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया निमिषा पांडे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आशीर्वाद रहटगांवकर द्वारा सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर, आरक्षक 876 राजेश राठौर, आरक्षक 1012 बृजमोहन नायक का टीम बनाकर लगातार अनेक वर्षों से फरार चल रहे वारंटियों के पतासाजी हेतु लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबीरों का जाल बिछाकर पिछले कई वर्षों से अलग-अलग प्रकरणों में फरार चल रहे 05 स्थायी वारंटी नानकी उर्फ धनेश जांगड़े पिता विष्णु जांगड़े उम्र 25 वर्ष निवासी बंदोरा थाना मालखरौदा जिला शक्ति, गणेश धनवार पिता जगत राम उम्र 32 वर्ष निवासी सरायपाली थाना खरसिया, मदन अगरिया पिता कर्मसाय उम्र 35 वर्ष निवासी बरतापाली थाना धर्मजयगढ़ तथा साधन अगरिया पिता फुल साय उम्र 40 वर्ष निवासी सेमीपाली थाना धर्मजयगढ़ और नरेश कुमार चौहान के सकुनत में दबिश देकर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से जेल दाखिल के आदेश पर सभी वारंटीयो को जिला जेल रायगढ़ दाखिल किया गया है। खरसिया पुलिस का आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।

कूलर के करेंट में चिपकने से एक व्यक्ति की मौत

गरियाबंद (आरएनएस)। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खम्हारपारा में कूलर के करेंट में चिपकने से एक व्यक्ति की मौत हो गईघटना में सिटी कोतवाली से मिली जानकारी के अनुसार मैनपुर थाना के बिन्द्रानवागढ़ चौकी अंतर्गत ग्राम खम्हारिपारा निवासी 53 वर्षीय धरमु सिन्हा पिता हगरु द्वारा अपने घर के कूलर को सुधारा जा रहा था उसी दौरान कूलर में विद्युत करेंट आ गया जिससे धरमु सिन्हा को झटका लगा और वो दूर जा गिराबही आवाज आने से उक्त व्यक्ति की पत्नी दौड़ते हुए आई और धरमु को घायल अवस्था में एक निजी वाहन से गरियाबंद जिला अस्पताल लेकर आए,जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया गयामामले की जांच कोतवाली के प्रधान आरक्षक प्रहलाद धनापति द्वारा करते हुए घटना पर जीरो कायम कर घटना स्थल से सम्बंधित थाना मैनपुर भेजते हुए जांच पंचनामा कार्यवाही कर जांच में लिया गया।

छाल के अंग्रेजी शराब दुकान के पास चोरी हुई मजदूर की मोबाइल, कापू से पकड़ा गया चोर

❒ मजदूर को मोबाइल वापस दिलाने थाना प्रभारी छाल ने निकाले सीसीटीवी फुटेज

रायगढ़। ग्राम गड़ईनबहरी में रहने वाला श्याम लाल निषाद (उम्र 33 वर्ष) ने दिनांक 21.04.2023 को थाना छाल आकर थाना प्रभारी उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया को बताया कि वो मजदूरी का काम करता है। दिनांक 20.04.2023 के दोपहर माजदा वाहन में अंग्रेजी शराब दुकान छाल में शराब खाली करने के लिए आया था जिसे उतारने के लिए उसे और उसके साथी को शराब दुकान के मैनेजर द्वारा मजदूरी करने के लिए बुलाया। तब वे अपने सायकल से शराब दुकान गया, जहां सायकल के थैला में मोबाइल को रखकर काम किया, जब घर जाने वापस सायकल के पास आया तो थैला से MI कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल कीमती लगभग रु.4000 गायब था, कोई अज्ञात व्यक्ति मोबाइल चोरी कर ले गया था। मोबाइल चोरी हो जाने से श्याम लाल निषाद काफी परेशान था। थाना प्रभारी उसे उचित कार्यवाही का भरोसा देकर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 127/2023 धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल अंग्रेजी शराब दुकान पहुंचे और दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किये जिसमें शराब लेकर आये माजदा वाहन का खलासी द्वारा साइकिल के थैला में रखें मोबाइल को निकाल कर जेब में रखते देखा गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा माजदा वाहन CG 10 AR 1504 के हेल्पर की पतासाजी में कापू रवाना हुये और आरोपी अंकित कुमार सोनी पिता स्व. पुरन लाल सोनी उम्र 24 वर्ष साकिन कोसमडीह थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर को हिरासत में लेकर मोबाइल चोरी के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कड़ी पूछताछ किये जो अपना अपराध स्वीकार किया तथा चोरी किया हुआ मोबाइल पेश किया जिसे बरामद कर चोरी के अपराध में आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी ने श्याम लाल निषाद को शीघ्र उसका मोबाइल न्यायालय से सुपुर्दनामा में वापस दिलाना बताया गया है।

पुसौर पुलिस की कार्यवाही में 20 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तारी

रायगढ़। एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन पर अवैध शराब, जुआ-सट्टा पर कार्यवाही के क्रम में कल दिनांक 21.04.2023 को थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम के नेतृत्व में ग्राम भ्रमण दौरान पुसौर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम बरपाली के मैदान में एक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री के लिये ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कर संदेही नेहरू लाल बघेल को अवैध रूप से शराब बिक्री के लिये प्लास्टिक जरकिन में शराब के साथ पकड़ा गया है। पुलिस टीम ने आरोपी नेहरू लाल पिता बैसाखू बघेल उम्र 37 वर्ष साकिन नावापारा थाना कोतरारोड हाल मुकाम बरपाली थाना पुसौर के कब्जे में मिला करीब 20 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त किया गया है। आरोपी पर थाना पुसौर में धारा 34 (2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम, सहायक उप निरीक्षक हेम सागर पटेल, मनमोहन बैरागी, आरक्षक दिलीप सिदार, दिनेश गोंड, अखिलेश कुशवाहा, खिरोद भोय और महिला आरक्षक सुमन बरेठ की अहम भूमिका रही है।

तमनार पुलिस की शराब रेड कार्यवाही, 10 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। अवैध शराब पर कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 22.04.2023 को थाना तमनार की पेट्रोलिंग को ग्राम बुडिया में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बागबाड़ी का जयराम परजा अपने घर पर अवैध बिक्री के लिए महुआ शराब छुपा कर रखा हुआ है। पेट्रोलिंग स्टाफ प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, महिला प्रधान आरक्षक उषा रानी द्वारा मुखबिर सूचना से थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रवीण मिंज को अवगत करते हुये तत्काल गवाहों को साथ लेकर ग्राम बागबाड़ी जाकर संदेही जयराम परजा के घर दबिश देकर जयराम परजा को तलब कर अवैध शराब बिक्री के संबंध में पूछताछ किया गया जो अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करना स्वीकार कर उसके घर के परछी में छिपा कर रखा हुआ एक 10 लीटर क्षमता वाली डब्बे में रखा 10 लीटर महुआ शराब कीमत रु.2000 लाकर पेश किया जिसे तमनार पुलिस ने आरोपी जयराम परजा पिता टिकनू परजा उम्र 50 साल निवासी ग्राम बागबाड़ी थाना तमनार से विधिवत गवाहों के समक्ष जब्ती किया गया है। आरोपी के कृत्य पर थाना तमनार में आरोपी जयराम परजा पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है।

घर घुसकर महिला से छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में स्थानीय महिला बीते रात उसके साथ मोहल्ले का संतोष कांड़ा नाम का युवक घर घुसकर गंदी नियत से सोये अवस्था में छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज कराने आयी। पीड़िता महिला के रिपोर्ट पर धारा 456, 354ख भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में पीड़िता का बयान दर्ज कराये और वहीं दूसरी ओर थाने से स्टाफ को आरोपी पतासाजी कर थाने लाने के रवाना किये। महज चंद घंटों में पुलिस टीम आरोपी संतोष राजपूत उर्फ संतोष कांडा उर्फ भूपेन्द्र पिता स्व. धनेश्वर सिंह राजपूत उम्र 20 वर्ष चक्रधरनगर को हिरासत में लेकर थाना लायी जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। माननीय न्यायालय में आरोपी का जेल वारंट जारी किये जाने पर आरोपी को जिला जेल रायगढ़ दाखिल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन पर महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्यवाही करने में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, सहायक उप निरीक्षक प्रकाश नारायण पाण्डेय और प्रधान आरक्षक सतीश पाठक की प्रमुख भूमिका रही है।

तालाबों को सहेजने कलेक्टर ने की पहल : 60 तालाबों के गहरीकरण और साफ -सफाई का काम प्रारंभ

❒ कलेक्टर सिन्हा के निर्देश पर 'कैच द रेन' के अन्तर्गत शुरु हुआ जल संरक्षण का एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट

❒ गांव के जलस्त्रोत को पल्लवित कर पुनर्जीवन देने की एक अहम कोशिश

रायगढ़। तालाब हमारे आस पास जन जीवन का अभिन्न अंग है। यह न केवल गांवों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल उपलब्ध कराते हैं बल्कि ग्रामीण जन जीवन और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महती भूमिका निभाते हैं। आज जब गर्मी की चपेट में आकर जल स्त्रोतों के सूखने की खबरें आती रहती है। ऐसे समय में रायगढ़ जिले में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी पहल की है। उन्होंने गांवों में ऐसे तालाब जिनका अस्तित्व सिमटता जा रहा था उसे फिर से पल्लवित कर उन्हें सहेजने की आधारशिला रखी है। कलेक्टर सिन्हा ने जिले में तालाबों के गहरीकरण और गाद-सफाई का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके लिए जिले के विभिन्न उद्योगों को भी जोड़ा गया है। प्रोजेक्ट के लिए जिले के 7 विकासखंड के 60 तालाब चिन्हांकित किए गए हैं। 42 तालाबों के गहरीकरण का कार्य शुरू भी कर दिया गया है। शेष के काम अगले कुछ दिनों में शुरू हो जायेंगे। ताकि बारिश के पहले तालाबों को गहरा कर उसकी साफ सफाई पूरी की जा सके।

तालाब गहरीकरण का यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता लेकर किया जा रहा, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए जिला स्तर पर नोडल अफसर बनाया गया है। ताकि काम के डेली प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके। कलेक्टर सिन्हा ने जिले में जल प्रबंधन को टॉप प्रायोरिटी में रखा है। पिछले दिनों उनकी पहल पर 'केलो है तो कल है' की सोच के साथ केलो नदी संरक्षण प्रोजेक्ट की नींव नदी के उद्गम से रखी गई है। इसके साथ ही अब गांवों में जलस्रोतों को उनके पुराने स्वरूप देने का भी कार्य शुरू किया गया है। कलेक्टर सिन्हा ने इसके लिए उद्योग प्रतिनिधियों की विशेष बैठक लेकर कहा था कि किसी एक तालाब के गहरीकरण से उस गांव की कई जरूरतें एक साथ पूरी होती हैं। भू-जल का स्तर उठता है। निस्तारी के साथ ग्रामवासियों और पशुपालकों को रोजमर्रा की जरूरत के लिए पानी उपलब्ध होता है। मछली पालन और दूसरी आर्थिक गतिविधियों की संभावनाएं बलवती होती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा हालात की जरूरत के आधार पर तालाबों के गहरीकरण और गाद सफाई का काम किया जाना है। कलेक्टर सिन्हा के निर्देश पर तालाबों को चिन्हांकित कर अलग अलग उद्योगों को उनके पूरे कायाकल्प की जिम्मेदारी दी गयी है।

हजारों सालों से ग्रामीण जीवन का हिस्सा हैं तालाब-तालाबों का इतिहास काफी पुराना है। हजारों सालों से लोग गांवों में तालाब को अंजुली बनाकर बारिश की हर एक बूंद को सहेजने का काम करते आ रहे हैं। जिससे जरूरत के साथ जल संकट के समय उसका उपयोग कर सकें। पहले छोटे छोटे गांवों में दसियों तालाब हुआ करते थे। कई गांव और नगर तो सिर्फ तालाबों की संख्या और उसकी भव्यता से अंचल में अपनी विशेष पहचान रखते थे। राजा महाराजा और शासक वर्ग समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने तालाब खुदवाया करते थे। विभिन्न ग्रंथों, लेखों और यात्रा वृतांतों में इसका उल्लेख है। गांव में जीवन चक्र भी तालाब के इर्द गिर्द घूमा करता था। सामाजिक संस्कारों से लेकर तैराकी और मछली पकड़ने जैसे कार्यों से मनोरंजन तक के लिए लोग तालाब पर आश्रित रहते थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480